संख्या- 26 /2025/ 1706 /016-9-7099-164-2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत जनपद मऊ की नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन में विद्‌युत शवदाहगृह निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-तक.सेल/649/अं.स्थ./न.नि.निदे./2025, दिनांक 13 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मऊ की नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन में विद्‌युत शवदाहगृह निर्माण कार्य का परीक्षणोपरान्त आगणन लागत ₹345.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि में से नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन जनपद मऊ में विद्‌युत शवदाहगृह निर्माण हेतु **₹345.00 लाख (रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष **एकमुश्त धनराशि ₹345.00 लाख (रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर मा. राज्यपाल महोदया निम्नलिखित विवरण /शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	कार्य	प्राप्त आगणन में लागत	अनुमन्य लागत	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मऊ	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन	विद्‌युत शवदाहगृह निर्माण कार्य।	345.14	345.00	345.00
कुल योग				**345.14**	**345.00**	**345.00**

(रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम (नगरीय) लखनऊ होगी।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा0/2014, दिनांक 09.09.2014 एवं संबंधित शासनादेश दिनांक 05.01.2015, दिनांक 12.06.2015 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(5) जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित कार्यदायी संस्था से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(6) सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाये। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/ कॉन्ट्रेक्ट /डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर ही किया जाय। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7) आगणन में प्राविधानित मदें जो पी0डब्ल्यू0डी0, एस0ओ0आर0 एवं डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर लिया गया है, ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है, उनके सम्बन्ध में यह मंतव्य है कि कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराये।

(8) कार्यों में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री इत्यादि की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(11) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्यंस्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(14) कार्यस्थल पर नियत डिस्प्ले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(15) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दिनांक 31.03.2025 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(16) प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(17) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट् शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(18) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा "शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना" के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन जनपद मऊ में विद्युत शवदाहगृह निर्माण हेतु उपर्युक्त धनराशि नियमानुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,45,00,000 (रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2235608000300 शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Kalyan Banerjee
Date: 27-03-2025 18:39:37
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26 /2025/ 1706(1) /016-9-7099-164-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
6. निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. उ.प्र. जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।

9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Kalyan Banerjee
Date: 27.03.2025 18:40:12

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-27/03/2025

प्रेषण संख्या:- 26
आवंटन आदेश संख्या:- 002-26-2025-1706-016-9-7099-164-2024
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	34500000 34500000	34500000 34500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	34500000 34500000	34500000 34500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पैंतालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पैंतालीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव